भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3874
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तंर दिए जाने के लिए)

बिहार में पीएमजीएसवाई-तीन की स्थिति

3874. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत स्वीकृत और आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के तहत स्वीकृत राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या बिहार में स्वीकृत परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्त र
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख) सरकार ने अन्य के साथ -साथ ग्रामीण कृषि बाजारों , उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू -रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए जुलाई, 2019 में पीएमजीएसवाई-।।। को मंजूरी दी थी ।

बिहार राज्य को पीएमजीएसवाई -।।। के तहत 6,162.50 किलोमीटर सड़क लंबाई का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से 15.12.2021 तक 1,197.28 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य के साथ 1,390.31 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है।

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वकयन के लिए निधियां राज्या सरकारों को उनकी निष्पारदन क्षमता बचे हुए कार्य एवं व्यरय न की गई अवशेष राशि को ध्याीन में रखते हुए जारी की जाती हैं॥5.12.21 की स्थिति के अनुसार, बिहार के पास पिछली अवमुक्त राशि में से 862.28 करोड़ रु. की व्याय न की गई अवशेष राशि है । इस प्रकार , बिहार में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़क कार्य पूरा करने की समय-सीमा कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 12 कार्य मास है। तथापि, जहां पैकेज में एक से अधिक सड़क कार्य शामिल होते हैं वहां पैकेज को पूरा करने के लिए दिया गया कुल समय 18 कैलेंडर माह है। इसी तरह कार्यस्थ ल की स्थितियों के आधार पर 25 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों को पूरा करने के लिए 21-24 माह की समयावधि दी गई है। पीएमजीएसवाई -।।। को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2025 है। पीएमजीएसवाई कार्यों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व -अधिकार/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मंत्री (ग्रामीण विकास) नियमित अंतराल पर कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं जिसमें योजना , कार्यान्वयन की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव, धन की उपलब्धता, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों /प्रधान सचिवों /मुख्य कार्यकारी अधिकारी -एस.आर.आर.डी.ए. के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

*****